

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।

आदेश संख्या/०४वे०स्थाप०/ 124 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक ०९ जून २०२३

अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३१०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ० रा०उ०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम/विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
१	बीरेन्द्र सिंह, स०अ०, विज्ञान/गणित	स०उ०प्रा०वि० गुमाई, पौड़ी	स०उ०प्रा०वि० घंड़ियाली, धलीसैण
२	कमला कण्डारी, स०अ०, सामान्य	स०उ०प्रा०वि० सिमलचौड, दुगड़डा	स०उ०प्रा०वि० कसाणी, बीसैखाल
३	जयपाल सिंह मण्डारी, स०अ०, विज्ञान/गणित	स०उ०प्रा०वि० नालीखाल (उर्चवी०) दुगड़डा	स०उ०प्रा०वि० लदोखी, दुगड़डा

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

१. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
४. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ वे०स्थाप०/ 2740-52 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- ३- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- ४- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- ५- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- ६- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- ७- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- ८- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- ९- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- १०- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- ११- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- १२- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- १३- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 125 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक ०९ जून २०२३  
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-१३(४) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
१	२	३	४	५
१	विमल किशोर, स०अ०, विज्ञान/गणित	रा०उ०प्रा०वि० पिनानी, पाबों	रा०उ०प्रा०वि० भदालीखाल, दुगड़डा	१
२	शेखर कुमार जोशी, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० भदालीखाल, दुगड़डा	रा०उ०प्रा०वि० पदमपुर, दुगड़डा	१
३	पूर्णिमा बाजपेयी, स०अ०, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० पाटली, द्वारीखाल	रा०उ०प्रा०वि० जमरखेत, द्वारीखाल	१

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

१. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
४. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2753-66 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- ३- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- ४- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- ५- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- ६- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- ७- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- ८- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- ९- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- १०- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- ११- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- १२- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- १३- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

**अनुरोध स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-१३(३) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	विमल कुमार चौधरी, स०अ०, विज्ञान/गणित	रा०उ०प्रा०वि० बुरांसी, द्वारीखाल	रा०उ०प्रा०वि० जमरखेत, द्वारीखाल	IV
2	महेश कुमार, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० हंसेश्वर महादेव, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० रैतपुर, जयहरीखाल	IV

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2367-80 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:— जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 127 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक ०९ जून २०२३

अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-१३(६) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
१	२	३	४	५
१	सुरेश कुमार, स०अ०, विज्ञान/गणित	रा०उ०प्रा०वि० खाण्डा, कोट	रा०उ०प्रा०वि० रणाकोट, कोट	V

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

१. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
४. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

प०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2381-93 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:— निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- ३- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- ४- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- ५- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- ६- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- ७- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- ८- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- ९- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- १०- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- ११- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- १२- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- १३- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 128 /स्थाना0/2023-24 दिनांक 09 जून 2023

**अनुरोध स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(2) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	अर्जुन सिंह बिष्ट, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 डवीलाखाल, पोखड़ा	रा0उ0प्रा0वि0 मैडगांव, एकेश्वर	VI
2	बिजेन्द्र सिंह रावत, स0अ0, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 बरसूडी, द्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 गुनियाल, जयहरीखाल	VI
3	हरिचरण सिंह रावत, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 धोबीघाट, बीरौखाल	रा0उ0प्रा0वि0 काण्डई, थलीसैण	VI
4	सुखदेवचन्द्र, स0अ0, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 कोटा, यमकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 पटना, यमकेश्वर	VI
5	नरेशचन्द्र, स0अ0, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 बडेथ, थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 हतनूड, द्वारीखाल	VI
6	सुरेशचन्द्र शर्मा, स0अ0, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 बरसूडी, द्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 हिलोगी, द्वारीखाल	VI
7	देवेन्द्र पोखरियाल, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 काण्डा मल्ला, बीरौखाल	रा0उ0प्रा0वि0 रौता, थलीसैण	VI
8	राजेश देवरानी, स0अ0, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 बूंगा, रिखणीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 दाबड़, द्वारीखाल	VI
9	अनिल कुमार, स0अ0, सामान्य	रा0उ0प्रा0वि0 भनरखाल, थलीसैण	रा0उ0प्रा0वि0 घण्डियाली, थलीसैण	VI
10	अनिल कुमार चमोली, स0अ0, भाषा	रा0उ0प्रा0वि0 खाल्युंधार, खिर्सू	रा0उ0प्रा0वि0 कोठी, कोट	VI
11	प्रीति नैथानी, स0अ0, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 बगरखाल, रिखणीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 टुण्डा, यमकेश्वर	VI

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 2394-2406 /स्थाना0/2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।

- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/०४बे०स्थाप०/ 129 /स्थाना०/2023-24 दिनांक 09 जून 2023

**अनुरोध स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(1) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	कमलेश्वरानन्द सुन्दरियाल, स०अ०, विज्ञान/गणित	रा०उ०प्रा०वि० चिलाऊ, नैनीडांडा	रा०उ०प्रा०वि० डवीलाखाल, पोखड़ा	VII

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2407-19 /स्थाना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा०शि०) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/०४वे०स्थाप०/ 130 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक ०९ जून २०२३  
अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

स०अ०, रा०उ०प्रा०वि०


क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
१	२	३	४
१	धर्म सिंह पंवार, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० सलौन, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० पल्ली, थलीसैण
२	सरला सुन्दरियाल, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० पलाई, कल्जीखाल	रा०उ०प्रा०वि० मज्याडीसैण, रिखणीखाल
३	नारायण दत्त पांथरी, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० कोलरी, वीरांखाल	रा०उ०प्रा०वि० क्याद, एकेश्वर
४	हरेन्द्र सिंह, स०अ०, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० गवांगा, पोखड़ा	रा०उ०प्रा०वि० कबरा, एकेश्वर
५	सतीश चन्द्र, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० मुसियाखांद, नैनीडांडा	रा०उ०प्रा०वि० पल्लीगांव, रिखणीखाल
६	विपिन चन्द्र पांथरी, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० महादेवसैण, पोखड़ा	रा०उ०प्रा०वि० धरासू, एकेश्वर
७	अनिल अण्ठवाल, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० भैलासैण, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० ढांसी, यमकेश्वर
८	हरपाल सिंह विष्ट, स०अ०, सामान्य	रा०उ०प्रा०वि० भेड़गांव, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० सिम्बलचौड़, दुगड़डा
९	सुरेश चन्द्र, स०अ०, विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० पालीगांव सरणा, पाबौ	रा०उ०प्रा०वि० गुमाई, पौड़ी
१०	महिताब सिंह रावत, स०अ०, विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० नाई, पोखड़ा	रा०उ०प्रा०वि० कबरा, एकेश्वर
११	चन्द्रमोहन थपलियाल, स०अ०, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० रैस, द्वारीखाल	रा०उ०प्रा०वि० कस्याली, यमकेश्वर
१२	रमेशचन्द्र आर्य, स०अ०, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० काण्डई, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० सीरौं, कल्जीखाल
१३	भूपेन्द्र सिंह विष्ट, स०अ०, विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० नानसू, कल्जीखाल	रा०उ०प्रा०वि० बलोड़ी, पौड़ी
१४	पृथ्वीधर सुयाल, स०अ०, विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० ऐठी, थलीसैण	रा०उ०प्रा०वि० पल्ली, थलीसैण
१५	रोशनी नैथानी, स०अ०, विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० किमोली, कल्जीखाल	रा०उ०प्रा०वि० चोपड़ा कस्याली, यमकेश्वर
१६	मदन लाल, स०अ०, विज्ञान	रा०उ०प्रा०वि० पल्लीगांव सरणा, पाबौ	रा०उ०प्रा०वि० क्याद, एकेश्वर
१७	इन्द्र सिंह रावत, स०अ०, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० तिमल्याणी, यमकेश्वर	रा०उ०प्रा०वि० सरासू, कल्जीखाल
१८	सूरज मोहन सिंह रावत, स०अ०, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० धौलखेतखाल, जयरीखाल	रा०उ०प्रा०वि० धारी, कल्जीखाल
१९	कमला रावत, स०अ०, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० असनखेत, जयरीखाल	रा०उ०प्रा०वि० कुड़ीगांव, कल्जीखाल
२०	उषा सागर, स०अ०, भाषा	रा०उ०प्रा०वि० गुनियाल, जयरीखाल	रा०उ०प्रा०वि० धरासू, एकेश्वर

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

१. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।




4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ वे०स्थाप०/ 2420-32 /स्थाना०/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
  - 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
  - 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
  - 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
  - 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
  - 6- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
  - 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
  - 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
  - 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
  - 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
  - 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
  - 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
  - 13- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्रा0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम/पदनाम/विषय	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
1	2	3	4
1	इन्दू नेगी, प्रा0अ0, विज्ञान/गणित	रा0उ0प्रा0वि0 रामजीवाला, यमकेश्वर	रा0उ0प्रा0वि0 मैसवाडा, बीरौखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये दिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।  
उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 वे0स्थाप0/ 2688-2700 /स्थाना0/2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 7- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 8- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 9- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 10- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 11- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 12- कार्यालय पत्रावली।

(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/04वे0स्थाप0/ 121 /स्थाना0/2023-24 दिनांक 09 जून 2023  
अनुरोध स्थानान्तरण आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(4) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।


प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	राजेन्द्र सिंह, प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 काण्डीखण्ड, ह्वारीखाल	रा0उ0प्रा0वि0 धारीखाल, यमकेश्वर	1

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।




(रामेन्द्र कुशवाहा)  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 वे0स्थाप0/ 2701-13 /स्थाना0/2023-24 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बन्धित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा0शि0)  
पौड़ी गढ़वाल।

कार्यालय:- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रोशियो) जनपद पौड़ी गढ़वाल।  
आदेश संख्या/04बे0स्थाप0/ 122 /स्थाना0/2023-24 दिनांक 09 जून 2023

**अनुरोध स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के प्राविधानानुसार कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-1/115324/XXX-2/2023 दिनांक 18 अप्रैल 2023 एवं शासनादेश संख्या-1/120994/2023/XXX(2)/E-33080 दिनांक 10 मई 2023 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की सस्तुति के आधार पर अनुरोध के आधार पर धारा-13(5) (निजी व्यय) उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

प्र0अ0, रा0उ0प्रा0वि0

क्र0 सं0	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	अनुरोध की श्रेणी
1	2	3	4	5
1	रविन्द्र कुमार, प्र0अ0	रा0उ0प्रा0वि0 फलहाडी, पावौ	रा0उ0प्रा0वि0 देवार, कोट	II

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-22 में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

1. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
2. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-24 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
4. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।

उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रोशियो)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ0सं0/04 बे0स्थाप0/ 2714-26 /स्थाना0/2023-24 दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- 3- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- 4- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- 5- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- 6- परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0 पौड़ी।
- 7- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- 8- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- 9- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- 10- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- 11- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- 12- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- 13- कार्यालय पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रोशियो)  
पौड़ी गढ़वाल।

**अनिवार्य स्थानान्तरण आदेश**

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ के प्राविधानानुसार कार्गिक एवं सतर्कता अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-१/११५३२४/XXX-२/२०२३ दिनांक १८ अप्रैल २०२३ एवं शासनादेश संख्या-१/१२०९९४/२०२३/XXX(२)/E-३३०८० दिनांक १० मई २०२३ में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को स्थानान्तरण हेतु गठित समिति की संस्तुति के आधार पर दुर्गम से सुगम क्षेत्र में उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-४ में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।


प्र०अ०, रा०उ०प्रा०वि०

क्र० सं०	अध्यापक/अध्यापिका का नाम, पदनाम	कार्यरत विद्यालय का नाम/विकास खण्ड	नवीन तैनाती विद्यालय का नाम/विकास खण्ड
१	२	३	४
१	भरतपाल सिंह रावत, प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० सिवालधार, पावौ	रा०उ०प्रा०वि० रेतपुर, जयरीखाल
२	जयप्रताप सिंह रावत, प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० चौरखाल, एकेश्वर	रा०उ०प्रा०वि० सीरौं, कल्जीखाल
३	अरविन्द कुमार, पांथरी, प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० महादेवसैण, पोखड़ा	रा०उ०प्रा०वि० ननकोट, पौड़ी
४	जोगेन्द्र सिंह, प्र०अ०	रा०उ०प्रा०वि० तिम्लयाणी, यमकेश्वर	रा०उ०प्रा०वि० बड़कासैण, रिखणीखाल

वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, २०१७ की धारा-२२ में निहित प्राविधानानुसार उक्त स्थानान्तरित शिक्षकों के सम्बंध में निम्नलिखित कार्यवाही की जायेगी :-

१. स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर प्रतिस्थानी के प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार मुक्त/ग्रहण करेंगे।
२. स्थानान्तरित शिक्षकों को किसी भी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
३. स्थानान्तरित किये गये शिक्षकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरुद्ध धारा-२४ के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
४. स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा स्थानान्तरण आदेश में विद्यमान किसी सारगर्भित/टंकण त्रुटि के निराकरण हेतु स्थानान्तरण आदेश निर्गत होने के तीन दिन के अन्दर स्थानान्तरण करने वाले प्राधिकारी से एक स्तर उच्च अधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जा सकेगा।


उक्त का पालन तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित किया जायेगा।

  
(रामेन्द्र कुशवाहा)

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।

पृ०सं०/०४ बे०स्थाप०/ 2727-39 /स्थाना०/२०२३-२४ दिनांक उक्तवत्।  
प्रतिलिपि:- निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- १- महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- २- निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेडा देहरादून।
- ३- अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी गढ़वाल।
- ४- जिलाधिकारी गढ़वाल।
- ५- उपजिलाधिकारी पौड़ी।
- ६- परियोजना निदेशक, डी०आर०डी०ए० पौड़ी।
- ७- मुख्य शिक्षा अधिकारी पौड़ी।
- ८- सम्बंधित कोषाधिकारी जनपद पौड़ी।
- ९- आहरण वितरण अधिकारी सम्बंधित जनपद।
- १०- सम्बंधित उप शिक्षा अधिकारी जनपद पौड़ी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आदेश की प्रति सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को हस्तगत कराते हुए, कार्यभार मुक्त/कार्यभार ग्रहण कराना सुनिश्चित करें।
- ११- सम्बंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका।
- १२- सम्बंधित अध्यापक/अध्यापिका को तत्काल अनुपालनार्थ।
- १३- कार्यालय पत्रावली।

  
जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा०शि०)  
पौड़ी गढ़वाल।